IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ग्रीन माइक्रो फाइनेंस की प्रासंगिकता : भारतीय परिदृश्य का एक अध्ययन

विष्णु दत्त

शोध छात्र, वाणिज्य विभाग,

श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

डॉ0 आलोक सिंह

सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग,

श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सारांश

परिवर्तन प्रकृति का नियम है अतः इसे नकारा नहीं जा सकता बल्कि परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जब पर्यावरणीय संकट किसी क्षेत्र या देश की समस्या न होकर अपितु समस्त विश्व की समस्या बन जाए तो इसके निराकरण में किसी क्षेत्र विशेष या देश विशेष के द्वारा की गयी पहल अपर्याप्त होती है अतः इसके लिए समस्त देशों को अपने–अपने स्तर से पहल करने के तरीकों को यथासंभव अपनाना चाहिए। पर्यावरणीय संकट के निराकरण के साधनों में से एक माइक्रो फाइनेंस का क्षेत्र भी है जो लगभग समस्त विश्व में विद्यमान है। अतः माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र को अपनी आगे की राह ग्रीन माइक्रो फाइनेंस के साथ संयोजित होकर तय करना चाहिए। भारत ने ग्रीन माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में हाल के ही विगत कुछ वर्षों में अपना कदम रखा है इसलिए इस क्षेत्र में भारतीय सन्दर्भ में अत्यल्प शोध ही हुए हैं। अतः यह शोध–अध्ययन भारतीय सन्दर्भ में ग्रीन माइक्रो फाइनेंस की उपयुक्तता ज्ञात करने के लिए समर्पित है, साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सा–धन (सामुदायिक वित्त संस्थानों का संघ) एवं नाबार्ड की भूमिका व उनके द्वारा किये गए पहल का भी अध्ययन करता है। परिणामतः ग्रीन माइक्रो फाइनेंस का भारतीय सन्दर्भ में सकारात्मक उपयोगिता परिलक्षित हुई है एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सा–धन व नाबार्ड भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं।

शब्दकोश : ग्रीन माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, सतत् विकास लक्ष्य, भारतीय अर्थव्यवस्था, कोविड–19।

1. परिचय

ग्रीन माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है जो गरीबों के लिए प्रोत्साहन बनकर पर्यावरण की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है। यह गरीबों को माइक्रो फाइनेंस प्रदान करता है जो उन्हें अधिक टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता हैं। ग्रीन माइक्रो फाइनेंस पर्यावरण क्षरण के क्षेत्रों में सुधार संदर्भित करता है जिसके अन्तर्गत जल प्रदूषण, नदियों का अतिक्रमण, चिकित्सकीय एवं घरेलू कचरों के अनुचित निपटान, वनोन्मूलन, जैव–विविधता की हानि आदि शामिल होता है। ग्रीन माइक्रो–फाइनेंस मूलतः दो मुद्दों का मेल है– ग्रीन और माइक्रो–फाइनेंस। ये दोनों मुद्दे विवादास्पद मुद्दों से निकलें हैं। पर्यावरण प्रदूषण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों की एक विकट समस्या है परन्तु आधुनिक समय में लोगों की पर्यावरण के प्रति जागरुकता बढ़ी है। फलतः ग्राहक भी आर्थिक–पर्यावरण–मैत्री उत्पादों व सेवाओं की ओर उन्मुख हो रहें हैं। ग्रीन माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा सतत् विकास के सन्तुलन में अत्यंत सहायकपूर्ण रहेगी।

माइक्रो फाइनेंस की त्रि–दशकीय यात्रा के फलस्वरुप ग्रीन माइक्रो फाइनेंस का उन्नयन हुआ, जिसे फाइनेंस के विद्वानों द्वारा माइक्रो फाइनेंस प्लस की संज्ञा दी गयी है। भारतीय सन्दर्भ में ग्रीन माइक्रो फाइनेंस का इतिहास लगभग नया है। माइक्रो फाइनेंस का प्राथमिक उद्देश्य गरीबों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण का था लेकिन वर्तमान में समाजार्थिक कल्याण के साथ–साथ पर्यावरणीय कल्याण भी हो गया है। विविध शोध अध्ययनों के निष्कर्ष इन संकेतों के द्योतक है। कई शोध अध्ययन भारतीय सन्दर्भ में ग्रीन माइक्रो फाइनेंस के अन्य घटकों से व्यक्तिगत सम्बन्ध के बारें में वर्णित अध्ययन पर आधारित है जैसे– ग्रीन माइक्रो फाइनेंस एवं सतत् विकास लक्ष्य, ग्रीन माइक्रो फाइनेंस एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रीन माइक्रो फाइनेंस एवं नारी सशक्तिकरण, ग्रीन माइक्रो फाइनेंस एवं कोविड–19 आदि।

ग्रीन माइक्रो फाइनेंस निःसंदेह वैश्विक पर्यावरणीय प्रदूषण से निपटने एवं माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की भावी जीवितता के लिए एक वरदान है। यह शोध अध्ययन भारतीय संदर्भ में ग्रीन माइक्रो फाइनेंस की आवश्यकता निर्धारण के लिए समर्पित है। इसमें ग्रीन माइक्रो फाइनेंस का कई घटकों के साथ एकीकृत रूप में सम्बन्ध का वर्णन किया गया है तथा भारतीय वित्तीय विनियामक संस्थाओं जैसे– रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सा–धन, नाबार्ड की भूमिका व उनके द्वारा किये गए पहलों का वर्णन भी किया गया है।

2. साहित्य पुनरावलोकन

नाजिम उद्दीन एवं अन्य (2021) ने अपने इस शोध–अध्ययन में माइक्रो फाइनेंस एवं सतत् विकास लक्ष्य का सर्वेक्षेण ग्रीन माइक्रो फाइनेंस के लिए किया। उन्होंने पाया कि ग्रीन माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी, ग्रीन माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट एवं माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की लाभदायकता का सकारात्मक सम्बन्ध है। ग्रीन माइक्रो फाइनेंस सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह शोध अध्ययन माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को ग्रीन माइक्रो फाइनेंस के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है।

डॉ परमेश्वर गुप्ता एवं अन्य (2022) ने अपना शोध प्राथमिक डाटा के आधार पर किया जो ग्रीन माइक्रो फाइनेंस का नारी सशक्तिकरण पर प्रभाव के अध्ययन पर आधारित था। उन्होंने पाया कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की जागरूकता अब ग्रीन उत्पादों के प्रयोग करने पर दिखी है। वे अब उत्पाद का प्रयोग एक से अधिक बार करने लगें हैं तथा उसका पुनर्चक्रण कर फिर नया बनाने व उत्पादों के अवशेषों का अन्य कार्य में प्रयोग करने लगें हैं। स्वयं सहायता समूह की बढ़ती हुई बचत व ग्रीन उत्पाद प्रयोग के प्रति जागरूकता उनके ग्रीन उपक्रमों के विकास के अवसरों की खोज के प्रति संकेत करते हैं।

अर्जिता, जाग्रति और प्रोफेसर अखिल मिश्रा (2023) ने अपने शोध–अध्ययन पर ग्रीन माइक्रो फाइनेंस की महत्वता एवं माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए पाँच आयामों को बताया है, ये पांच आयाम निम्न हैं– पर्यावरणीय नीति, पारिस्थितिकी पदचिन्ह, पर्यावरणीय जोखिम निर्धारण, ग्रीन माइक्रो क्रेडिट व पर्यावरणीय गैर–वित्तीय सेवा। इन पाँच आयामों को मापने के लिए विभिन्न सूचकों को वर्णित किया गया है।

डॉ0 मनप्रीत कौर (2023) ने अपने शोध–अध्ययन में ग्रीन फाइनेंस के विचार को भारतीय कम्पनियों द्वारा आत्मसात करने का वर्णन किया है। उन्होंने पाया कि भारत सरकार, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सभी पहले से ही ग्रीन फाइनेंस के प्रोडक्ट एवं सर्विस की सुविधा प्रदान करने लगें हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार को ग्रीन फाइनेंस की नीति, रणनीति व नियामकों पर पारदर्शिता लाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विनियोजक प्रभावित हो सकें।

ऑस्कर कुजूर एवं डॉ0 सुदेश कुमार (2023) ने अपने शोध–अध्ययन में कोविड का विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव एवं पुनर्नियोजन के लिए रणनीति का वर्णन किया है। उन्होंने पाया कि ग्रीन फाइनेंस सतत् विकास के लिए एक प्रभावी उपकरण है जो कोरोना के पश्चात् की स्थिति को जल्द नियोजित करेगी। ग्रीन फाइनेंस ऐसी प्रणाली को विकसित कर सकती है जो सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों को पता कर सकती है और सतत् तथा समावेशी विकास के लिए एक रास्ता प्रदान कर सकती है।

3. उद्देश्य

1. ग्रीन माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का अध्ययन।
2. सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रीन माइक्रो फाइनेंस की प्रासंगिक भूमिका को जानना।
3. भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व सा–धन के द्वारा ग्रीन माइक्रो फाइनेंस के विकास में उनकी भूमिका व किए गए पहलों का अध्ययन।

4. शोध–प्रविधि

यह शोध–अध्ययन व्याख्यात्मक प्रकृति का है जिसमें द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है। उन समंको का एकत्रीकरण प्रकाशित लेखों, विभिन्न वेबसाइट्स, सरकारी प्रतिवेदनों एवं अन्य द्वितीयक स्रोतों से किया गया है।

5. विश्लेषण

5.1– ग्रीन माइक्रो फाइनेंस का अन्य घटकों के साथ सम्बन्ध

5.1.1 ग्रीन माइक्रो फाइनेंस और सतत् विकास लक्ष्य

सहस्रशाब्दी विकास लक्ष्य की अवधि समाप्त होने के उपरान्त सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र विकास समिति, न्यूयार्क 2015 में रखा गया जिसमें 17 लक्ष्य व 169 उद्देश्यों को रखा गया था और जिनकी प्राप्ति करने की अवधि 2030 तक रखी गयी थी। भारत ने भी 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमर कस रखी है। वर्तमान में प्राइवेट बैंकों द्वारा सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई सारी विनियोजन योजनाओं को लागू किया गया है, परन्तु सतत् विकास लक्ष्य की भावी प्रगति में यदि केवल बैंक ही कार्य करते रहेंगे तो उनको वित्तीय संकट की चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को भी इस ओर कदम रखने का अवसर देना अनिवार्य है। माइक्रो फाइनेंस स्वयं एक ग्रीन परियोजना है क्योंकि इसमें ऐसे व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है जो दीर्घकाल तक उपक्रम को चलाने में सक्षम होतें हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के पास कुल 6 करोड़ ग्राहक थें जो भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एवं जो अधिकांशतः गावों में रहती है। चूँकि गरीब और छोटी आय वाले लोगों तक बड़ी संख्या में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की ही अधिकाधिक पहुँच है और ऐसे लोग पर्यावरण की जागरूकता के प्रति अत्यंत कम संवेदनशील होते हैं, अतः माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को वित्तीय एवं गैर–वित्तीय योजनाओं के द्वारा अपने ग्राहकों को आर्थिक–पर्यावरण–मैत्री उत्पादों एवं सेवा वितरण के लिए पहल आरम्भ करनी चाहिए।

5.1.2 ग्रीन माइक्रो फाइनेंस एवं भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2023 के अनुसार, विश्व स्तर पर 110 देशों के 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोग बहुआयामीं रूप से अत्यंत गरीब हैं, जिसमें भारत में अभी भी 23 मिलियन से अधिक लोग आज भी गरीब हैं। यह आँकड़ा इस बात की संकेत देता है कि भारत में आज भी सरकार, वित्तीय संस्थाएं, गैर–वित्तीय संस्थाएं आदि अपने वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने में असफल रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट, ''सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट : द इंडिया स्टोरी'' के अनुसार, भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है जबकि भारत में गरीब असमान रूप से उच्च करों का भुगतान अमीरों की तुलना में कर रहें हैं। भारत में पुरूष श्रमिक द्वारा अर्जित प्रति 1 रुपये के मामले में महिला श्रमिकों को केवल 63 पैसे ही मिलतें हैं। ऑक्सफैम के यह आंकड़ें भारत की सापेक्ष गरीबी को व्यापक रूप से प्रदर्शित करतें हैं।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी0 वैद्यनाथन ने सा–धन के वर्ष 2022 के सम्मलेन में कहा कि भारत में माइक्रो फाइनेंस का बाजार 60 मिलियन अद्वितीय ग्राहकों के साथ 2.97 लाख करोड़ रुपये का है और यह उपलब्धि भारत ने 20 वर्षों में प्राप्त की है जो लगभग अल्पकाल के ऋण पर आधारित है। लगभग प्रत्येक संकटकाल के बाद माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र ने ''बॉउंस बैक'' किया है। यह दिखाता है कि माइक्रो उधारकर्ता के व्यवसाय की आधारभूत अर्थव्यवस्था स्वस्थ है और इनका पुनर्भुगतान दर भी अपेक्षाकृत उच्च होता है। औसत क्रेडिट हानि अनेकों संकटकाल के बावजूद भी कम रही है।

ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत होतें हैं और ऐसे वित्तीय संस्थानों में यदि वृद्धि का स्तर दिखे तो सरकार व अन्य हितधारकों को इनके विकास के लिए आगे आना चाहिए। अतः माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को ग्रीन माइक्रो फाइनेंस के द्वारा ही अपनी आगे की राह को तय करना सुनिश्चित करना चाहिए।

5.1.3 ग्रीन माइक्रो फाइनेंस एवं कोविड–19

कोविड–19 के दौरान जब अर्थव्यवस्था के अधिकाधिक उद्योग अवसाद में थें, तभी कृषि एवं दूरसंचार मुख्य तौर पर अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहें थें। 2020–21 के समग्र आर्थिक विकास में जब नकारात्मक वृद्धि (–7.2%) प्रदर्शित हो रही थी तभी 2020–21 के वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र 3.4% की वृद्धि कर रहा था। दूरसंचार क्षेत्र भी अपने विकास के अवसर के लाभ को उठा रहा था क्योंकि इस समय ऑनलाइन स्कूलिंग, घर से काम करना, नए–नए कौशल सीखना आदि का बोलबाला था। लॉकडाउन के कारण वैश्विक सम्बन्ध के स्थापन में दूरसंचार कम्पनियां एक जीवन रेखा के रूप में कार्यरत थी। कोविड के पश्चात् यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः उभरना है तो उसे कृषि एवं दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देना ही होगा और इसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज का विद्यमान एवं भावी माइक्रो फाइनेंस ग्राहक वर्ग में से कोई भी वर्ग इससे अछूता न रहे। अतः ऐसे में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है जो गरीब एवं वंचितों को जैविक खाद, आधुनिक पर्यावरणीय–मैत्री उपकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता व आवश्यक सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं आदि उपलब्ध करा सकती है।

5.2 ग्रीन माइक्रो फाइनेंस के प्रति वित्तीय संस्थानों की भूमिका व पहल

5.2.1 सा–धन (सामुदायिक विकास वित्त संस्थानों का संघ) की भूमिका

सा–धन माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक स्व–नियामक संगठन है जो माइक्रो फाइनेंस एवं प्रभावी फाइनेंस संस्थानों का एक संघ है। यह भारत में सामुदायिक विकास वित्त संस्थानों का पहला एवं सबसे बड़ा समूह है जिसका गठन दो दशक पूर्व हुआ था। सा–धन में 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 600 से अधिक जिलों में लगभग 220 सदस्य कार्यरत है जिनमें लाभ–युक्त एवं लाभ–रहित माइक्रो फाइनेंस संस्थानों, स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने वाले संस्थान, रेटिंग एजेंसियाँ, क्षमता निर्माण संस्थान आदि शामिल हैं।

नजरिया

''आर्थिक और समावेशी रुप से सशक्त समाज को बढ़ावा देना।''

विशेष कार्य

''कम आय वाले परिवारों विशेषकर महिलाओं को स्थिर आजीविका प्राप्त करने, उनके सामाजिक, वित्तीय कल्याण और उनके जीवन में सुधार करने और सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समावेशी प्रभाव वाले माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को बढ़ावा देना।''

सा–धन के द्वारा की गयी पहलें

1– एचएसबीसी प्रोजेक्ट ऑन इनेबलिंग डिजिटल साल्युशन टू ओवरकम डिजिटल बैरियर्स

सा–धन ने एचएसबीसी के समर्थन से एक परियोजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य बैंक रहित लोगों के लिए वित्त की पहुँच में डिजिटल पारिस्थिकी तंत्र में सुधार करना था। इस उद्देश्य हेतु सा–धन ने चार वर्कशॉप पहल फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हिन्दुस्तांन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, मिडलैंड माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड एवं ग्रामीण शक्ति फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया। इसका उद्देश्य वित्तीय सौदों के दौरान डिजिटल तकनीक का प्रयोग करने की जागरूकता बढ़ाना था।

२– सा–धन इंटरवेंशन इन प्रमोटिंग वाटर एंड सैनिटेशन

सा–धन ने वाटर.ऑर्ग के साथ अनुबंध किया। वाटर.ऑर्ग एक अंतर्राष्ट्रीय गैर–लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य गरीब और वंचितों को जल और स्वच्छता के लिए क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है। सा–धन ने यह प्रोग्राम भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के द्वारा जल, स्वच्छता और आरोग्य वित्तीयन के विस्तार के लिए आरम्भ किया था।

3– वाटर एंड सैनिटेशन विथ फिनिश

सा–धन ने बिहार, महाराष्ट्र एवं राजस्थान के गरीब लोगों के लिए फिनिश सोसायटी के साथ सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया। सा–धन इस प्रोग्राम को कार्यान्वित करता है जबकि फिनिश सोसाइटी तकनीकी सहायता माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को देती है।

5.2.2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नियामक संस्था है। यह देश में सभी प्रकार के बैंको का नियमन एवं प्रबंधन करता है। सन् 2010 से पूर्व माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए कोई आधिकारिक नियामक नहीं था। 2011 के विधेयक से नॉन–बैंकिंग फाइनेंस कम्पनीज–माइक्रो फाइनेंस संस्थान माइक्रो फाइनेंस के एक नयी इकाई के रूप में आया और कुछ मौजूदा नॉन–बैंकिंग फाइनेंस कम्पनीज को भी इसी रूप में लाया गया। लगभग एक दशक पश्चात् रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना दूसरा दिशा–निर्देश नॉन–बैंकिंग फाइनेंस कम्पनीज–माइक्रो फाइनेंस संस्थान के लिए जारी किया जो 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है।

इस परिपत्र में निम्न मुख्य बातें थीं –

1. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संपार्श्विक–ऋण मुक्त की सीमा को 3,00,000 रुपये तक प्रति परिवार (पूर्व में 2 लाख रुपये तक प्रति शहरी परिवार और 1.20 लाख रुपये प्रति ग्रामीण परिवार) आय कमाने वाले तक बढ़ा दिया।
2. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विनियमित संस्थाओं को माइक्रो फाइनेंस ऋण पर मूल्य निर्धारण ब्याज दर की सीमा व ऋणों पर लागू होने वाले अन्य शुल्कों के लिए बोर्ड–अनुमोदित नीति बनाने का सुझाव दिया।
3. प्रत्येक विनियमित संस्थान को एक मानकीकृत और सरलीकृत फैक्टशीट में मूल्य निर्धारण से सम्बंधित जानकारी रखने का आदेश दिया।
4. ऋणों पर पूर्व भुगतान जुर्माना पर रोक तथा विलम्बित भुगतान पर केवल अतिरेक धनराशि में जुर्माना तथा ऋण से सम्बंधित किसी भी बदलाव को पूर्व सूचित करने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया।
5. विनियमित संस्थान को पुनर्भुगतान सम्बन्धी समस्या से जूझने वाले व्यक्ति की पहचान कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना होगा।

ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त वर्णित सभी बातें केवल नॉन–बैंकिंग फाइनेंस कम्पनीज–माइक्रो फाइनेंस संस्थान पर ही लागू होंगी।

हालाँकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन माइक्रो फाइनेंस के लिए कोई प्रत्यक्ष पहल नहीं की, लेकिन 2022 के परिपत्र से उन्होंने व्यापक पारदर्शिता लाकर अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन माइक्रो फाइनेंस के विकास के लिए मार्ग अवश्य प्रशस्त किया है।

5.2.3 नाबार्ड की भूमिका

नाबार्ड 12 जुलाई, 1982 को टिकाऊ एवं न्यायसंगत कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष विकास बैंक के रूप में स्थापित किया गया। यह कृषि वित्त, बैंकिंग प्रौद्योगिकी, स्वयं सहायता समूह एवं संयुक्त देयता समूह के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने आदि कार्य करता है।

नाबार्ड अपने कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से न करके अपने सहायक संस्थाओं के माध्यम से करता है। नाबकिसान, नाबसंवृद्धि, नाबफिंस, नाबफॉउण्डेशन, नाबवेन्चर्स एवं नाबसंरक्षण नाबार्ड की सहायक संस्थाए हैं। ये सभी सहायक संस्थाए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्रीन माइक्रो फाइनेंस के विकास में सहयोग प्रदान करती है। ज्ञातव्य है कि नाबफिंस एक नॉन–बैंकिंग फाइनेंस कम्पनीज–माइक्रो फाइनेंस संस्थान है जो अन्य माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की तुलना में अद्वितीय मॉडल अपनाता है।

नाबार्ड पहल : हरित जलवायु कोष

हरित जलवायु कोष को यूएनएफसीसीसी (यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) के द्वारा कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज के 16वीं बैठक में लाया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों को उनके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या सीमित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए वित्तीय एवं सलाहकारी सहायता प्रदान करना है।

9 जुलाई, 2015 को आयोजित हरित जलवायु कोष की 10वीं बोर्ड बैठक में नाबार्ड को डायरेक्ट एक्सेस एंटिटी के रूप में मान्यता मिली। अक्टूबर, 2022 को आयोजित हरित जलवायु कोष की 34वीं बोर्ड बैठक में पुनः नाबार्ड को डायरेक्ट एक्सेस इकाई के रूप में चुन लिया गया।

हरित जलवायु कोष स्वीकृत परियोजना में ओडिशा के कमजोर आदिवासी क्षेत्रों में भू–जल पुनर्भरण और सौर–सूक्ष्म सिंचाई की पहल की गयी तथा पैन इंडिया में वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा आवासीय क्षेत्रों के रूफटॉप सौर ऊर्जा के लिए ऋण सुविधा दी गयी।

6. निष्कर्ष

माइक्रो फाइनेंस निःसंदेह एक ऐसी युक्ति साबित हुई है जिसने समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का उद्भव किया है और इसका यह रुख न केवल भारतीय समाज में अपितु समस्त विश्व में देखने को मिला है। परन्तु वर्तमान में समस्त विश्व में पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभावों को प्रत्यक्षतः देखा गया है फलतः उससे वर्तमान एवं भविष्य दोनों संकट में हैं। हालाँकि इसके निराकरण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्त देश अपनी–अपनी ओर से प्रयासरत है। भारत भी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कई सारी संस्थाओं व परियोजनाओं को सामयिक तौर पर स्थापित एवं आयोजित करता रहता है। अतः भारत ने भी विगत कुछ वर्षों से अपने माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में ग्रीन माइक्रो फाइनेंस के द्वारा पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए कमर कस ली है। इस अध्ययन के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एक सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है, ने भी अपनी दशकों पूर्व के माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र के दिशा–निर्देशों में बदलाव किया है जो अप्रत्यक्षतः माइक्रो फाइनेंस को ग्रीन माइक्रो फाइनेंस की ओर ले जाने में मार्ग प्रशस्त करता है। नाबार्ड, जिसे भारतीय स्तर पर माइक्रो फाइनेंस की जननी कहना अतिशयोक्ति नहीं है, ने भी अपने सहायक संस्थाओं के साथ ग्रीन माइक्रो फाइनेंस की ओर अपना कदम ले जाने में संकोच नहीं किया है। नाबार्ड ने बाह्य संस्थाओं के साथ सम्मिलित होकर भी ग्रीन माइक्रो फाइनेंस की तरफ कदम बढ़ाया है। सा–धन (सामुदायिक वित्त संस्थानों का संघ), जो एक स्व नियामक संगठन है, ने अपने वार्षिक सम्मलेन में माइक्रो फाइनेंस को ग्रीन माइक्रो फाइनेंस की ओर ध्यानाकर्षण करने के लिए अपने विषय में रखा है। सा–धन ने कई सारी संस्थाओं के साथ जैसे– फिनिश सोसायटी, वाटर.ऑर्ग आदि के साथ सहयोजित होकर ग्रीन माइक्रो फाइनेंस की परियोजना को जमीनी स्तर पर उतारा है। इस अध्ययन की समस्त विवेचनाओं के विश्लेषण के आधार पर यह भी पारदर्शित होता है कि भारतीय स्तर पर ग्रीन माइक्रो फाइनेंस का इसकी अर्थव्यवस्था, नारी सशक्तिकरण, कोरोना काल के पश्चात् का विकास एवं सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अहम् योगदान निभा सकता है जो वर्तमान के भारतीय परिदृश्य में एक ज्वलंत मांग भी है।

7. सीमाएं

1. इस शोध–प्रपत्र के लेखन में डेटाबेस– गूगल स्कॉलर, सीमैन्टिक स्कॉलर एवं रिसर्च गेट के मुक्त पहुँच वाले शोध–अध्ययनों का प्रयोग किया गया है।
2. इसमें केवल द्वितीयक समंकों का ही प्रयोग किया गया है।
3. डेटाबेस के अलावा कुछ अधिकृत वेबसाइट्स एवं वार्षिक तथा सरकारी रिपोर्ट का सहारा लिया गया है।

8. संदर्भ ग्रंथ–सूची

1. Awasthi, A., Gupta, J., & Mishra, A. (2023). Green Microfinance: Why it matters?.
2. Dr. E. A. Parameswara Gupta, Archana G.,Mamatha G.,Chethana G.,Subramanya G. (2022). "GREEN MICROFINANCE, FACTORS DRIVING WOMEN EMPOWERMENT AND BENEFITS DERIVED FROM SHGS - A STUDY W.R.T. BENGALURU RURAL DISTRICT", International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), ISSN:2320-2882.
3. Kaur, Manpreet. (2023). FUTURE PERSPECTIVE OF GREEN FINANCE IN INDIA.
4. Kujur, Oscar. (2023). The Impact of Covid-19 on India: Strategies for Sustainable Recovery Through Green Finance. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology. 11. 301-310. 10.22214/ijraset.2023.53473.

5. Rekha, Y. & Reddy, C. (2014). A Study on Role of RBI in Promoting Micro Finance. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.2391300.

6. Uddin, M. N., Kassim, S., Hamdan, H., Saad, N. B. M., & Embi, N. A. C. (2021). Green microfinance promoting sustainable development goals (sdgs) in Bangladesh. Journal of Islamic Finance, 10, 011-018.

7. https://charteredaccountantsworldwide.com/the-g20-embraces-green-finance/

8. https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Green microfinance? x tr sl=en& x tr hl=hi& x tr pto=sc

9. https://en.wikipedia.org/wiki/Water.org

10. https://idronline.org/article/ecosystem-development/why-indias-microfinance-sector-needs-to-prioritise-innovation/

11. http://niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimentional-Poverty-Index-2023.pdf

12. https://web-archieve-org.translate.goog/web/20120402140854/http://microfinancehub.com/2010/06/05/why-green-microfinance-matters-to-the-poor/? x tr sl=en& x tr tl=hi& x tr hl=hi& x tr pto=sc

13. https://www.developmentresearch.eu/?p=1523

14. https://www.indiabudget.gov.in/budget2019-20/economicsurvey/doc/vol2chapter/echap05vol2.pdf

15. https://www.nabard.org/our-subsidiaries.aspx

16. https://www.nabard.org/content1.aspx?id=584&catid=8&mid=8

17. https://www.oxfam.org/en/india-extreme-inequality-numbers

18. https://www.rbi.org.in/commonperson/English/Scripts/Notification.aspx?Id=1022

19. https://www.rbi.org.in/commonperson/English/Scripts/FAQs.aspx?Id=3366

20. https://www.sa-dhan.net/wp-content/uploads/2023/09/Annual-Report-FY2022-23.pdf

21. https://www.sa-dhan.net/wp-content/uploads/2023/06/National-Conference-Report-2023.pdf